01

संख्या–477/XV-2/03(96)/2003(मत्स्य)

प्रेषक,

आर0सी0 पाठक,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून/हरिद्वार/ऊधमसिंहनगर,
उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग– 02 देहरादून, दिनांक 29 अगस्त, 2013:

विषयः–चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 मे मत्स्य विभाग को 75% केन्द्र पोषित योजनान्तर्गत "मत्स्य पालक विकास अभिकरण" की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मत्स्य निदेशालय के पत्र संख्या–783/म0पा0वि0अभि0/2013–14, दिनॉक 16–08–2013 एवं वित्त विभाग के शासनादेश सं0–284/XXVII(1)/2013, दिनॉक 30–03–2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पशुपालन, डेरी एवं मत्स्य विभाग, भारत सरकार के पत्र संख्या–31013/2/01–Fy(3), दिनांक 05–08–2013 द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु "मत्स्य पालक विकास अभिकरण" योजना हेतु 75 प्रतिशत केन्द्राशं ₹ 10.50 लाख अवमुक्त करने के फलस्वरूप तालाब सुधार एवं निर्माण हेतु केन्द्रांश ₹ 10.50 लाख एवं राज्याशं ₹ 3.50 लाख अर्थात कुल धनराशि ₹ 14.00 लाख निम्न जनपदों को उनके सम्मुख अकिंत धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखते हुये इसे आहरण कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क0 स0	सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी जिनके निर्वतन पर व्यय हेतु धनराशि रखी जा रही है।	केन्द्रांश	राज्यांश	धनराशि	आहरण वितरण अधिकारी
1.	जिलाधिकारी, देहरादून	0.750	0.265	1.015	निदेशक, मत्स्य, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2.	जिलाधिकारी, हरिद्वार	2.25	0.735	2.985	सहायक निदेशक, मत्स्य, हरिद्वार।
3.	जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर	7.50	2.50	10.00	सहायक निदेशक, मत्स्य, हल्द्वानी, भीमताल (नैनीताल)।
	योग :–	10.50	3.50	14.00	

1. निर्माण कार्यों पर व्यय करने से पूर्व आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की टैक्नीकल स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
2. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निश्चित रूप से उन्ही मंदों पर किया जाय जिसके लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृतिप्रदान की गई है । यदि इसका उपयोग अन्यत्र किसी अन्य मद में किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगे तथा अप्राधिकृत

व्यय की वसूली की जायेगी। उक्त केन्द्र पोषित धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा किये गये प्राविधानों/दिशा–निर्देशों के तहत ही किया जायेगा।

3. व्यय करते समय बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स वित्तीय नियम संग्रह डी0जी0एस0 एण्ड डी0 की दर अथवा टेण्डर/कुटेशन के आधार पर किया जायेगा।

4. उक्त धनराशि का दिनॉक 31–3–2014 तक व्यय कर उपयोगिता प्रमाणक, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति दिनॉक 31–3–2014 तक शासन को उपलब्ध करवायेगें।

5. व्यय जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित परिव्यय की सीमा अन्तर्गत किया जायेगा।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2405–मछली पालन–00–आयोजनागत–190–सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाये (80% केन्द्राशं)–91–मत्स्य पालक विकास अभिकरण को सहायता (75% के0स0) (जिला योजना)–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0–284/XXVII(1)/2013, दिनांक 30 मार्च, 2013 के दिशा–निर्देशानुसार जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0सी0 पाठक)
सचिव।

संख्या : 717(1)/XV-2/03(96)2003(मत्स्य) तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. मण्डलायुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. कोषाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार/ऊधमसिंहनगर,/हल्द्वानी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, मत्स्य विभाग, देहरादून।
5. वित्त अनुभाग–4/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
उप सचिव।